"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 545]   रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 21, शक 1935

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-8/आठ-परि./2013.—यत: रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर द्वारा अबुझमाड़िया जनजातियों के समग्र विकास के लिए बहुआयामी सामाजिक सेवाएं प्रदाय की जा रही हैं, आश्रम के स्वामित्व के विविध प्रकार के मोटरयान, जिसमें बस, कार एवं ट्रेक्टर-ट्राली सम्मिलित है, का उपयोग गरीब तथा जनजातीय बच्चों के नि:शुल्क आवागमन के लिए तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में किया जा रहा है,

और यत:, राज्य सरकार के मत में रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को मोटरयान कर के भुगतान से छूट दिया जाना जनहित में वांछनीय है,

अतएव, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर के स्वामित्व के मोटरयानों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय मोटरयान कर के भुगतान से, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:-

सारणी

स. क्र. (1)	वाहन पंजीयन क्रमांक (2)	वाहन का प्रकार (3)	चेसिस नम्बर (4)	इंजन नम्बर (5)
1.	सी. जी. 21/जी-0175	ट्राली	ए पी यू-1358	एन/ए
2.	सी. जी. 21/जी-0176	ट्रेक्टर	एन पी ए एम सी 277	एन पी ए एम सी 277

	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	सी. जी. 17/जेड जी-0206	ट्रेक्टर	3 ए 17330	ए 55128
4.	सी. जी. 17/जेड जी-0207	ट्राली	आर एस एम सी-150	एन/ए
5.	सी. जी. 17/जेड जी-0328	जीप डीआई	413687	30367
6.	सी. जी. 04/जेड जी-7496	जीप डीआई	डी एच 07402	डी एच 07402
7.	सी. जी. 17/सी-0566	यूटीलिटी	4 डी वाई-डी वाई-58865	डी वाई-58865
8.	सी. जी. 04/जेड पी-5522	मारूती-800	170239	230941
9.	सी. जी. 21/जी-0157	अर्जुन ट्रेक्टर	आर बी एम यू 1035	आर बी एम यू 1035
10.	सी. जी. 21/जी-0155	ट्राली	ए ए एफ-565	एन/ए
11.	सी. जी. 21/जी-0156	युवराज ट्रेक्टर	ए जी आर 8168	ए जी आर 8168
12.	सी. जी. 21/जी-0154	ट्राली	ए ए एफ-566	एन/ए
13.	सी. जी. 21/जी-0162	युवराज ट्रेक्टर	ए जी आर 9180	ए जी आर 9180
14.	सी. जी. 21/जी-0163	ट्राली	ए एस -1314	एन/ए
15.	सी. जी. 17/जेड डी-0327	टेम्पो ट्रेवलर	टी डी बी 04105 जी 94	एक्स 969100675
16.	सी. जी. 04/डी-7317	एम एण्ड एम ट्रेक्टर	इ एन एस आर 365	इ एन एस आर 365
17.	सी. जी. 04/डी-7318	ट्राली	ए एफ एफ-1372004	एन/ए
18.	सी. जी. 17/एफ-0380	बस	एम ए टी 412108 सी ओ एन 13504	21 के 84078911
19.	सी. जी. 17/एफ-0379	बस	एम ए टी 412108 सी ओ एन 13506	21 के 844081185
20.	सी. जी. 04-2754/टीआर/13	टेल्को लाइन	एम ए टी 37458 सी 9 जे 38033	483 डी एल 1 सी 55 एच एक्स वाई 709943
21.	सी. जी. 04-2752/टीआर/13	टेल्को लाइन	एम ए टी 374585 सी 9 जे 38242	483 डी एल 1 सी 55 एच एक्स वाई 709587
22.	सी. जी. 17/सी-3610	एम्बुलेंस/विंगर	एम ए टी 460124 डी यू ए 00105	483 डी एल टी सी 55 ए डब्ल्यू वाई 700157
23.	सी. जी. 04-2753/टीआर/13	पिक-अप मॉडल	एन एम ए टी 478012 डी 9 सी 07706	497 एस पी 38 डब्ल्यू वाई 613961

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24.	नया वाहन	थार जीप एम एण्ड एम	एम ए 1 ए एच 2 जी एल के डी 1 बी 20357	जी एल डी 1 बी 47739
25.	सी. जी. 04/जेड डी-7492	ट्राली	3 जे टी-27634	एन/ए

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 12th December 2013

NOTIFICATION

No. F 5-8/आठ-परि./2013. — Whereas, Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur is indulged in multidimensional social services for the overall development of Abhujhmariya tribes and various types of motor vehicles, including bus, car and tractor-trolley owned by the Ashram are being used for free transportation of poor and tribal children and in other social services;

And whereas, the State Goverment is of the opinion that it would be expedient to exempt the motor vehicles owned by Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur from payment of motor vehicle tax in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam,1991(No. 25 of 1991), the State Goverment, hereby, exempts the motor vehicles owned by the Ramkrishna Mission Ashram, Narayanpur as specified in the table below, from payment of motor vehicle tax leviable under Section 3 of the said Adhiniyam, with effect from the date of its publilcation in the Official Gazette, namely :-

TABLE

S. No. (1)	Vehicle Registraion Number (2)	Type of Body (3)	Chassis Number (4)	Engine Number (5)
1.	CG 21/G-0175	Trolley	APU-1358	N/A
2.	CG 21/G-0176	Tractor	NPAMC 277	NPAMC 277
3.	CG17/ZG-0206	Tractor	3A17330	A55128
4.	CG17/ZG-0207	Trolley	RSMC-150	N/A
5.	CG17/ZD-0328	Jeep DI	413687	30367
6.	CG04/ZD-7496	Jeep DI	DH07402	DH07402
7.	CG17/C-0566	Utility	4DY-DY-58865	DY-58865
8.	CG04/ZP-5522	Maruti-800	170239	230941
9.	CG21/G-0157	Arjun Tractor	RBMU 1035	RBMU 1035

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	CG21/G-0155	Trolley	AAF-565	N/A
11.	CG21/G-0156	Yuwraj Tractor	AGR 8168	AGR 8168
12.	CG21/G-0154	Trolley	AAF-566	N/A
13.	CG21/G-0162	Yuwraj Tractor	AGR 9180	AGR 9180
14.	CG21/G-0163	Trolley	AS 1314	N/A
15.	CG17/ZD-0327	Tempo Traveller	TDB04105G94	X969100675
16.	CG04/D-7317	M & M Tractor	ENSR 365	ENSR 365
17.	CG04/D-7318	Trolley	AFF-1372004	N/A
18.	CG17/F-0380	Bus	MAT412108 CON13504	21K84078911
19.	CG17/F-0379	Bus	MAT412108 CON13506	21K844081185
20.	CG04-2754/TR/13	TELCO Line	MAT37458C9J 38033	483DL1C55 HXY709943
21.	CG04-2752/TR/13	TELCO Line	MAT374585C9J 38242	483DL1C55 HXY709587
22.	CG17/C-3610	Ambulance/ Winger	MAT460124 DUA 00105	483DLTC55 AWY700157
23.	CG04-2753/TR/13	Pick-up Model	NMAT478012D9C 07706	497SP38 WY 613961
24.	New Vehicle	Thar Jeep M & M	MA1AH2GLKD1B 20357	GLD1B47739
25.	CG04/ZD-7492	Trolley	3JT-27634	N/A

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.